NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-04-2026

विषय सूची

भारत में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि शासन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेश बरकरार

घृणा भाषण/हेट स्पीच(Hate Speech) 'हम बनाम वे' की मानसिकता से उत्पन्न होता है: सर्वोच्च न्यायालय

सभी के लिए बीमा: कवरेज का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

भारत की ऊर्जा संक्रमण में संरचनात्मक अंतराल

बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने हेतु परियोजना

संक्षिप्त समाचार

प्राचीन वस्तुओं की वापसी पर कानून

विश्व खाद्य कार्यक्रम

ई-प्राप्ति(E-PRAAPTI) पोर्टल

चांगी नौसैनिक अड्डा

डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

भारत में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि शासन

संदर्भ

- हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने यह रेखांकित किया है कि भू-स्थानिक जानकारी भूमि शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आई है।

भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है?

- यह उन प्रौद्योगिकियों, संस्थानों, नीतियों और हितधारकों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो स्थानिक डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग में संलग्न होते हैं।
- ये प्रणालियाँ भूमि और संसाधनों का वास्तविक समय में मानचित्रण, निगरानी एवं शासन सक्षम करती हैं।
- ये उपग्रह चित्रण और रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (GPS), ड्रोन और LiDAR जैसी अनेक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को संयोजित कर सटीक स्थानिक डेटा एवं अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती हैं।

भारत में भूमि शासन

- भूमि शासन उन नीतियों, संस्थानों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो भूमि संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग एवं प्रबंधन को निर्धारित करते हैं।
- भारत में भूमि शासन से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं:
  - खंडित भूमि अभिलेख
  - भूमि विवाद (नागरिक वादों का बड़ा हिस्सा)
  - शहरीकरण का दबाव
  - पर्यावरणीय क्षरण
  - अक्षम भूमि-उपयोग नियोजन

भूमि शासन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका

- **भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण एवं कैडस्ट्रल मानचित्रण**: GIS सटीक सीमा निर्धारण सक्षम करता है; विवादों को कम करता है और भूमि शीर्षक सुधारता है; तथा निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली का समर्थन करता है।
  - *उदाहरण: SVAMITVA ड्रोन मानचित्रण*
- **भूमि उपयोग नियोजन एवं शहरी शासन**: ज़ोनिंग, स्मार्ट सिटी नियोजन और अवसंरचना विकास में सहायक; तथा डेटा-आधारित मास्टर प्लान सक्षम करता है।
  - GIS एकीकरण शहरी शासन की दक्षता और पारदर्शिता सुधारता है।
- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन**: वनों, जल निकायों और कृषि की निगरानी; तथा जलवायु लचीलापन एवं आपदा प्रबंधन को समर्थन।
  - भू-स्थानिक इनपुट कुशल भूमि-उपयोग नीतियों के लिए आवश्यक हैं।
- **आपदा प्रबंधन**: बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन के लिए वास्तविक समय मानचित्रण; और प्रतिक्रिया एवं शमन रणनीतियों को सुधारता है।
- **ई-शासन एवं निर्णय समर्थन प्रणाली**: GIS-आधारित प्लेटफ़ॉर्म ई-शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण सक्षम करते हैं; तथा अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाते हैं।
  - GIS सरकारी निर्णय समर्थन प्रणालियों का मुख्य घटक है।

भू-स्थानिक भूमि शासन में चुनौतियाँ

- **संस्थागत विखंडन**: अनेक एजेंसियाँ स्थानिक डेटा का प्रबंधन करती हैं; और उनके बीच समन्वय की कमी GIS अवसंरचना में शासन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करती है।
- **डेटा अभिगम्यता एवं मानकीकरण**: स्थानिक डेटा साझा करने पर ऐतिहासिक प्रतिबंध; और अंतःक्रियाशीलता की कमी।
- **क्षमता सीमाएँ**: कुशल GIS पेशेवरों की कमी; और स्थानीय स्तर पर सीमित अपनापन।
- **कानूनी एवं गोपनीयता संबंधी चिंताएँ**: डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग जोखिम; तथा नियामक स्पष्टता की आवश्यकता।
- **सामाजिक-राजनीतिक आयाम**: भूमि डेटा नियंत्रण में शक्ति असमानता; और हाशिए पर स्थित समुदायों के बहिष्कार का जोखिम।

NEXT IAS

भारत में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण पहलें

- **उदारीकृत भू-स्थानिक दिशानिर्देश (2021 से आगे)**: मानचित्रण और डेटा उत्पादन पर प्रतिबंधों का हटना; तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022)**: आत्मनिर्भर भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य; तथा नवाचार, स्टार्टअप और डेटा लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा।
- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)**: पाठ्य और स्थानिक भूमि अभिलेखों का एकीकरण; तथा GIS-आधारित कैडस्ट्रल मानचित्रण।
- **eLoc (राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली)**: प्रत्येक स्थान के लिए अद्वितीय 6-अक्षरीय डिजिटल पता, स्थानों के लिए आधार जैसा।
- **अन्य योजनाएँ**: SVAMITVA योजना एवं NAKSHA।

आगे की राह

- **नीतिगत उपाय**: राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (NSDI) को सुदृढ़ करना; खुले डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना; तथा केंद्र-राज्य समन्वय को सशक्त करना।
- **प्रौद्योगिकीय कदम**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), GIS और बिग डेटा का एकीकरण; तथा ड्रोन मानचित्रण एवं वास्तविक समय विश्लेषण का विस्तार।
- **शासन सुधार**: निर्णायक भूमि शीर्षक की ओर बढ़ना; तथा सामुदायिक भागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **क्षमता निर्माण**: भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।

स्रोत: PIB

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेश बरकरार

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अनिवार्य प्रवेश को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए बरकरार रखा।

निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ

- पड़ोस के विद्यालय, जिनमें निजी अप्रतिबद्ध संस्थान भी शामिल हैं, राज्य सरकार द्वारा आवंटित विद्यार्थियों को बिना विलंब प्रवेश देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
- कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को प्रवेश न देना संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
  - न्यायालय ने बल दिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों के लिए 25% आरक्षण समाज की सामाजिक संरचना को परिवर्तित करने और समानता को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि एक बार राज्य चयनित विद्यार्थियों की सूची अग्रेषित कर देता है तो विद्यालयों के पास प्रवेश देने से इनकार करने का कोई विकल्प नहीं होता।
- न्यायालय ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की बाधा शिक्षा के अधिकार को एक खोखला वादा बना देगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

- **विकासक्रम:** भारतीय संविधान में शिक्षा एक समवर्ती विषय है और इस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
  - शिक्षा का अधिकार (RTE) प्रारंभ में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में था, बाद में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया।
  - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से इसे गैर-न्यायिक DPSP से भाग III में

स्थानांतरित कर अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया, जिससे यह प्रवर्तनीय अधिकार बन गया।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) संसद द्वारा 2009 में अधिनियमित किया गया।
- 2010 में अधिनियम लागू होने पर भारत उन 135 देशों में शामिल हुआ जिन्होंने शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया।
- **मुख्य प्रावधान:** अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानक निर्दिष्ट करता है।
    - सभी सरकारी विद्यालयों को सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी।
    - सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राप्त वित्तीय सहायता के अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी, न्यूनतम 25% तक।
    - सभी निजी विद्यालयों को 25% सीटें बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी (राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत)।
        - निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश आर्थिक स्थिति या जाति आधारित आरक्षण के आधार पर होता है।
    - अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक रोका, निष्कासित या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
    - विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है ताकि वे समान आयु के विद्यार्थियों के स्तर तक पहुँच सकें।

निर्णय का महत्व

- **सार्वभौमिक पहुँच:** संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- **सामाजिक समानता:** वंचित समूहों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से समावेशन को बढ़ावा देता है, जाति, लिंग और आर्थिक असमानताओं को कम करता है।
- **मानव पूंजी विकास:** शिक्षित कार्यबल का निर्माण करता है, जो आर्थिक वृद्धि और जनसांख्यिकीय लाभ को समर्थन देता है।
- **सशक्तिकरण:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समान विद्यालय प्रणाली की दृष्टि को सुदृढ़ करता है, जैसा कि कोठारी आयोग ने प्रस्तावित किया था।
- **राष्ट्र निर्माण एवं वैश्विक लक्ष्य:** समावेशी विकास को समर्थन देता है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप है।

स्रोत: AIR

घृणा भाषण/हेट स्पीच(Hate Speech) 'हम बनाम वे' की मानसिकता से उत्पन्न होता है: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घृणा भाषण और अफवाह फैलाना "हम बनाम वे" मानसिकता से उत्पन्न होता है तथा विविध समाज में भ्रातृत्व की भावना को भ्रष्ट करता है।

परिचय

- घृणा भाषण और अपराधों के लिए अलग कानून बनाने की मांग करते हुए कई याचिकाएँ दायर की गईं।
- न्यायालय ने घृणा भाषण और अपराधों के विरुद्ध विशेष कानून बनाने का निर्देश देने से मना किया तथा इसके बजाय वर्तमान कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन पर बल दिया।
- निर्णय में कहा गया कि न्यायालय विशिष्ट विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता और इसे केंद्र सरकार तथा विधायी प्राधिकरणों पर छोड़ दिया।

घृणा अपराध क्या हैं?

- घृणा अपराध वे अपराध हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी अक्षमता, नस्ल या जातीयता, धर्म या विश्वास, यौन

अभिविन्यास, लैंगिक पहचान आदि के प्रति शत्रुता या पूर्वाग्रह के कारण लक्षित करते हैं।

- भारत में "घृणा अपराध" शब्द कानून में अलग से परिभाषित नहीं है, परंतु ऐसे कृत्य भारतीय दंड संहिता (IPC) और अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय हैं।

घृणा अपराधों का प्रभाव

- **सामाजिक मुद्दे:** यह समुदायों के बीच विभाजन को गंभीर करता है और दीर्घकालिक सामाजिक एकता को बाधित करता है। बार-बार की घृणात्मक कथाएँ भीड़ हिंसा, दंगे एवं लक्षित हमलों में परिवर्तित हो जाती हैं।
- **संवैधानिक मूल्यों का क्षरण:** यह संविधान में निहित समानता, भ्रातृत्व और गरिमा के सिद्धांतों को चुनौती देता है। यह धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है, जो भारत की संवैधानिक नैतिकता का प्रमुख स्तंभ है।
- **भय और हाशियाकरण:** बार-बार घृणा घटनाओं का सामना करने वाले समुदाय भय, बहिष्कार और अवसरों तक कम पहुँच का अनुभव करते हैं, जिससे सामाजिक सद्भावना को क्षति पहुँचती है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता:** सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध:** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है।
- **अनुच्छेद 19(2):** अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाए जा सकने वाले युक्तिसंगत प्रतिबंधों से संबंधित है।
    - प्रतिबंध की परिस्थितियाँ: राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना।
- **अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:** गरिमा, सुरक्षा और संरक्षा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता:** अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन, आचरण और प्रचार सुनिश्चित करता है।

घृणा भाषण से निपटने में चुनौतियाँ

- **तेज़ डिजिटल प्रसार:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म घृणा भाषण को बिना तथ्य-जाँच के तीव्रता से फैलने और बड़े दर्शकों तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं।
- **एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाएँ:** निगरानी और साक्ष्य संग्रह को जटिल बनाती हैं।
- **इरादे को सिद्ध करने में कठिनाई:** कई घृणा भाषण अपराधों में इरादे को सिद्ध करना आवश्यक होता है, जो कठिन है।
- **कानूनी परिभाषा का अभाव:** भारत में घृणा भाषण और अपराध की सटीक वैधानिक परिभाषा नहीं है, जिसके कारण व्यापक व्याख्या और राज्यों में असंगत प्रवर्तन होता है।

घृणा अपराधों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) / भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** धारा 153A, धारा 295A आदि जैसी विशिष्ट धाराएँ समूहों (धर्म, नस्ल, भाषा) के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या सार्वजनिक भय/अव्यवस्था भड़काने को अपराध घोषित करती हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3), 123(3A):** चुनावों के दौरान घृणा फैलाने या धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर अपील करने वाले राजनीतिक भाषणों को निषिद्ध करती हैं।
- **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने घृणा भाषण पर विशिष्ट कानून की कमी को स्वीकार किया और संसद को व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की।
- **अमिश देवगन बनाम भारत संघ (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और सार्वजनिक व्यवस्था व सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु घृणा भाषण पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के बीच संतुलन पर विचार किया।

आगे की राह

- भारत को घृणा भाषण और अपराध की स्पष्ट एवं व्यापक कानूनी परिभाषा अपनानी चाहिए ताकि राज्यों में समान एवं वस्तुनिष्ठ प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र आवश्यक है ताकि हानिकारक सामग्री को शीघ्र हटाया जा सके।
- ऑनलाइन हानियों के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षण तंत्र, बेहतर डेटा संग्रह और अनुसंधान के साथ मिलकर साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने में सहायता कर सकता है और भारत की समानता, गरिमा एवं सामाजिक एकता के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर सकता है।

स्रोत: TH

सभी के लिए बीमा: कवरेज का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने “2047 तक सभी के लिए बीमा” का दृष्टिकोण निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति क्षेत्रों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना है।

भारत में बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन

- भारत वैश्विक स्तर पर 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार बनकर उभरा है, जिसका वैश्विक प्रीमियम वॉल्यूम में 1.8% हिस्सा है।
- भारत में बीमा पैठ 3.7% है, जिसमें जीवन बीमा का योगदान 2.7% और गैर-जीवन बीमा का योगदान 1% है।
    - स्वास्थ्य बीमा गैर-जीवन बीमा के अंदर अग्रणी खंड बनकर उभरा है, जो सकल घरेलू प्रीमियम का 41% योगदान करता है।
- बीमा घनत्व बढ़कर 97 अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कवरेज के क्रमिक विस्तार को दर्शाता है।

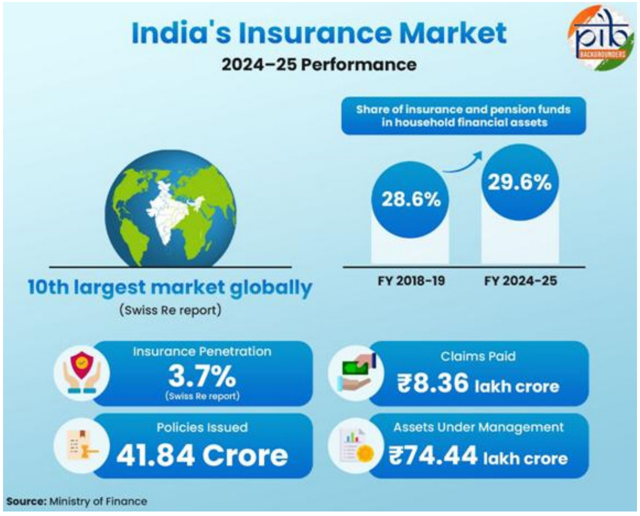

प्रमुख शब्दावली

- **बीमा प्रसार :** प्रत्यक्ष जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लिखित सकल प्रीमियम का GDP के प्रतिशत के रूप में मापन।
- **बीमा घनत्व :** प्रीमियम का जनसंख्या के अनुपात में मापन (प्रति व्यक्ति प्रीमियम)।
- **बीमा प्रीमियम :** वह राशि जो कोई व्यक्ति या व्यवसाय बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है।
    - प्रीमियम पॉलिसीधारकों के बीच भिन्न होता है और आयु, निवास क्षेत्र, रोजगार का स्वरूप, स्वास्थ्य स्थिति, आय आदि जैसे कारकों से निर्धारित होता है।

अर्थव्यवस्था में बीमा का महत्व

- **वित्तीय निरंतरता:** बीमा परिवारों को आय के आघातों से बचाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और संपत्तियों की विवश बिक्री को रोकता है।
- **निवेश को समर्थन:** बीमा अनिश्चितता को कम करता है और जोखिम शमन प्रदान करता है, जिससे उद्यमिता और व्यापार निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
- **पूंजी निर्माण:** बीमा दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देता है और पूंजी निर्माण में योगदान करता है, जिससे आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलता है।

प्रमुख सरकारी बीमा योजनाएँ

- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:** ₹2 लाख का जीवन बीमा कवरेज सुलभ वार्षिक प्रीमियम पर

प्रदान करती है, जिससे बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:** नाममात्र प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ मिलता है।
- **कर्मचारी राज्य बीमा योजना:** बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार चोट को कवर करने वाली व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

बीमा क्षेत्र में नीतिगत एवं विनियामक उपाय

- **सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025:** बीमा अधिनियम, 1938; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956; और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं में संशोधन कर बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया।
  - संशोधन के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनियों में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई।
- 22 सितंबर, 2025 से सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (परिवार फ्लोटर सहित) तथा पुनर्बीमा पर GST छूट दी गई।
  - 18% GST हटाने से प्रीमियम लागत कम हुई और व्यापक अपनापन को प्रोत्साहन मिला।
- **मोराटोरियम अवधि का संक्षिप्तीकरण:** स्वास्थ्य बीमा में मोराटोरियम अवधि वह निश्चित समय है जिसके बाद बीमा कंपनियाँ गैर-प्रकटीकरण और मिथ्या प्रस्तुति के आधार पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकतीं (केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर)।
  - IRDAI ने 2024 में मोराटोरियम अवधि को 8 वर्ष से घटाकर 60 माह (5 वर्ष) कर दिया।
- **मानकीकृत 30-दिवसीय फ्री-लुक अवधि:** IRDAI ने एक वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली पॉलिसियों के लिए मानकीकृत 30-दिवसीय फ्री-लुक अवधि लागू की।
- **प्रीमियम भुगतान में विलंब हेतु ग्रेस अवधि:** मासिक किस्तों पर प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिन और त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक किस्तों पर 30 दिन की ग्रेस अवधि उपलब्ध है।
- **मध्यावधि रद्दीकरण पर प्रीमियम वापसी:** पॉलिसी के मध्यावधि रद्दीकरण की स्थिति में बीमाकर्ता शेष अवधि के लिए प्रीमियम या आनुपातिक प्रीमियम वापस करेंगे।

बीमा क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **कम प्रसार:** बीमा प्रसार 3.7% पर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत (2024 में 7.3%) की तुलना में अपर्याप्त है।
- **दावा निपटान समस्याएँ:** दावों के निपटान में विलंब और पारदर्शिता की कमी ग्राहक विश्वास को कम करती है।
- **वितरण सीमाएँ:** बीमा वितरण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच बाधित होती है।
- **सुलभता की बाधाएँ:** उच्च प्रीमियम बीमा उत्पादों को निम्न-आय वाले परिवारों के लिए कम सुलभ बनाते हैं।
- **धोखाधड़ी और गलत बिक्री:** मध्यस्थों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण दावे और गलत बिक्री उपभोक्ता विश्वास को कमजोर करते हैं।
- **बढ़ती लागतें:** चिकित्सा और दावा लागतों में वृद्धि प्रीमियम बढ़ा रही है और बीमाकर्ताओं की लाभप्रदता को प्रभावित कर रही है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

- IRDA का गठन 1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में मालहोत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने हेतु किया गया।
- इसे 19 अप्रैल, 2000 को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।

- प्राधिकरण को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114A के अंतर्गत विनियम बनाने का अधिकार है।
- **उद्देश्य:** IRDA का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को विनियमित करना है।
- IRDAI वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।
- इसने बीमा व्यवसाय संचालित करने वाली कंपनियों के पंजीकरण से लेकर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा तक के लिए विनियम बनाए हैं।

स्रोत: PIB

भारत की ऊर्जा संक्रमण में संरचनात्मक अंतराल

संदर्भ

- भारत के विद्युत ग्रिड ने हाल ही में रात के समय बिजली की कमी का सामना किया है, जिसका कारण शुरुआती और तीव्र हीटवेव परिस्थितियों से उत्पन्न रिकॉर्ड बिजली मांग है।

भारत में हालिया विद्युत आपूर्ति व्यवधान

- **मांग और आपूर्ति के बीच असंगति:** भारत ने लगभग 256 GW की चरम बिजली मांग दर्ज की, जिसमें देर रात के समय 4 GW से अधिक की कमी रही।
- **अनिवार्य और आंशिक अवरोध:** उपकरण विफलता, तकनीकी दोष या परिचालन दबाव के कारण अनिवार्य अवरोध तेज़ी से बढ़कर लगभग 21–26 GW तक पहुँच गए।
  - नियोजित रखरखाव अवरोध लगभग 3 GW तक सीमित रहे।
- **बाज़ार परिदृश्य:** डे-अहेड मार्केट में रात के समय स्पॉट बिजली कीमतें नियामक सीमा ₹10 प्रति यूनिट तक पहुँच गईं।
  - दिन के समय कीमतें तीव्रता से घटकर लगभग ₹1.5 प्रति यूनिट हो गईं, जो सौर ऊर्जा की अधिशेष उपलब्धता को दर्शाती हैं।

रात में विद्युत ग्रिड दबाव में क्यों है?

- **सूर्यास्त के बाद सौर उत्पादन में तीव्र गिरावट:** भारत ने लगभग 150 GW सौर क्षमता विकसित की है, जो दिन के समय बिजली मांग को महत्वपूर्ण रूप से समर्थन देती है।
- सूर्यास्त के बाद सौर उत्पादन नगण्य स्तर तक गिर जाता है, जिससे शाम और रात के समय अचानक आपूर्ति अंतराल उत्पन्न होता है।
- इस घटना को प्रायः ““सोलर क्लिफ” कहा जाता है।
- **रात के समय स्थायी उच्च मांग:** शीतलन उपकरणों के निरंतर उपयोग के कारण रात में बिजली मांग ऊँची बनी रहती है।
  - रात में गर्मी का बने रहना बिजली मांग में किसी सार्थक गिरावट को रोकता है।
- **थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता:** गैर-सौर घंटों में ग्रिड कोयला-आधारित थर्मल ऊर्जा पर भारी निर्भर रहता है और सौर ऊर्जा की अनुपस्थिति की भरपाई करने की अपेक्षा की जाती है।
- **अन्य स्रोतों की सीमित लचीलापन:** जलविद्युत और गैस-आधारित संयंत्र लचीलापन प्रदान करते हैं, परंतु जल उपलब्धता और उच्च ईंधन लागत से बाधित रहते हैं।
  - पवन ऊर्जा अस्थिर रहती है और रात के समय निरंतर आपूर्ति के लिए भरोसेमंद नहीं है।

भारत के विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक अंतराल

- भारत की ऊर्जा संक्रमण परिवर्तनीय नवीकरणीय आपूर्ति और अलचीले पारंपरिक बैकअप के बीच असंगति उत्पन्न कर रही है।
- ग्रिड में पर्याप्त ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का अभाव है, जो दिन के समय अधिशेष सौर ऊर्जा को रात में उपयोग हेतु संग्रहीत कर सकें।
- थर्मल ऊर्जा संयंत्र वृद्ध अवसंरचना और जलवायु-जनित चुनौतियों के कारण परिचालन दबाव का सामना कर रहे हैं।
- मांग-पक्ष प्रबंधन सीमित है, विशेषकर आवासीय चरम खपत को नियंत्रित करने में।

स्वच्छ ऊर्जा उपयोग सुधार हेतु सरकारी पहलें

- **नवीकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड नीति:** एक ही स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा संयोजन वाली परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जिससे क्षमता उपयोग और विश्वसनीयता बढ़ती है।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC):** उत्पादन स्थलों से मांग केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने हेतु प्रसारण अवसंरचना को सुदृढ़ करने का लक्ष्य।
- **परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू, यह योजना ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे कुल बिजली मांग घटती है।

आगे की राह

- भारत को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज की तैनाती तीव्र करनी चाहिए ताकि दिन के समय अधिशेष सौर ऊर्जा को संग्रहीत कर रात में विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- वृद्ध थर्मल ऊर्जा संयंत्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयन आवश्यक है ताकि दक्षता सुधरे, अनिवार्य अवरोध कम हों तथा परिचालन लचीलापन बढ़े।
- ग्रिड लचीलापन में अधिक निवेश आवश्यक है, जिसमें लचीला उत्पादन, सहायक सेवाएँ और वास्तविक समय संतुलन तंत्र शामिल हैं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता को प्रबंधित किया जा सके।
- पूर्वानुमान क्षमताओं और डिजिटल ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना मांग-आपूर्ति अंतराल का पूर्वानुमान लगाने और प्रणाली की विश्वसनीयता सुधारने में सहायक होगा।

स्रोत: IE

बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने हेतु परियोजना

समाचार में

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और मेघालय में बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने हेतु पाँच वर्षीय परियोजना प्रारंभ की है।

बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन

- यह स्थानीय समुदायों और ग्राम संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन है, जो इस विचार पर आधारित है कि स्थानीय लोग प्रकृति के सबसे प्रभावी संरक्षक होते हैं।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 पंचायत/नगरपालिका स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन की आवश्यकता करता है।

भारत में बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने हेतु परियोजना

- यह परियोजना भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की संयुक्त पहल है, जिसके लिए 2025–2030 की अवधि हेतु 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया गया है।
    - यह परियोजना नीचे से ऊपर (bottom-up) शासन मॉडल का अनुसरण करती है और राष्ट्रीय एवं वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करती है, जिनमें भारत की जैव विविधता रणनीति (NBSAP 2024–2030), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (30x30 लक्ष्य), तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु लक्ष्य शामिल हैं।
    - यह परियोजना पहुँच और लाभ साझा (ABS), CSR निधि और हरित सूक्ष्म-उद्यमों के माध्यम से नवाचारी वित्तपोषण को भी बढ़ावा देती है, साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक पुनरावृत्ति हेतु क्षमता निर्माण करती है।
- **कवरेज:** तमिलनाडु में यह परियोजना सत्यमंगलम परिदृश्य को कवर करेगी, जिसमें मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व शामिल हैं।

- मेघालय में इसे गारो हिल्स क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिसमें नोकरेक बायोस्फीयर रिज़र्व, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सिजू वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** यह पहल भारत की जैव विविधता और जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करती है, जिनमें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति, वैश्विक 30×30 लक्ष्य और पेरिस समझौता शामिल हैं।
  - इसका ध्यान स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर है, जिसमें ग्राम पंचायत योजना में जैव विविधता का एकीकरण, पंचायतों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों जैसी स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना, तथा बहु-हितधारक मंचों एवं नवाचारी वित्तपोषण के माध्यम से समुदाय-नेतृत्व संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन का महत्व

- **सामुदायिक संरक्षकता:** यह स्थानीय समुदायों को जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु सशक्त बनाता है।
- **जीविका सुरक्षा:** यह पारंपरिक ज्ञान, कृषि-जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन करता है, जो ग्रामीण एवं जनजातीय जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **जलवायु लचीलापन:** यह मैंग्रोव पुनर्स्थापन, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और सतत कृषि के माध्यम से अनुकूलन को बढ़ाता है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:** यह जैव विविधता संधि (CBD) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

चुनौतियाँ

- कई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में प्रशिक्षित कर्मचारी और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।
- स्थानीय जैव विविधता परियोजनाओं के लिए सीमित वित्तीय समर्थन।
- स्थानीय निकायों, राज्य जैव विविधता बोर्डों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच कमजोर एकीकरण।
- समुदाय अक्सर पहुँच और लाभ साझा (ABS) प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं।

सुझाव

- **वित्तपोषण नवाचार:** जिला/राज्य स्तर पर जैव विविधता निधि स्थापित करें; CSR और ग्रीन बॉन्ड का उपयोग करें।
- **सामुदायिक प्रोत्साहन:** स्थानीय संरक्षण नायकों को मान्यता और पुरस्कार दें; इको-पर्यटन और सतत उद्यमों को बढ़ावा दें।
- **सुदृढ़ समन्वय:** पर्यावरण मंत्रालय, राज्य जैव विविधता बोर्ड और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करें।
- **जागरूकता अभियान:** मिशन LiFE शैली के जनसंपर्क का विस्तार करें ताकि दैनिक जीवन में जैव विविधता की भूमिका को उजागर किया जा सके।

निष्कर्ष

- बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन पर्यावरणीय और लोकतांत्रिक दोनों आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि यह स्थानीय समुदायों को भारत की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा हेतु सशक्त बनाता है।
- सरकारी प्रयासों ने एक आधार तैयार किया है, परंतु क्षमता निर्माण, जागरूकता और लाभ-साझाकरण में निरंतर निवेश आवश्यक है।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करना और जैव विविधता को स्थानीय विकास योजनाओं से जोड़ना भारत के जलवायु लक्ष्यों, आजीविका एवं वैश्विक संरक्षण प्रतिबद्धताओं को समर्थन देगा।

स्रोत :Air

संक्षिप्त समाचार

प्राचीन वस्तुओं की वापसी पर कानून

समाचार में

- अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएँ वापस की हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की चल रही जाँच का हिस्सा हैं।

क्या आप जानते हैं?

- 2024 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार 'सांस्कृतिक संपत्ति समझौता' पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत से अमेरिका तक प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना और नियंत्रित करना है।
    - यह समझौता 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है, जो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व हस्तांतरण को रोकने और प्रतिबंधित करने के साधनों से संबंधित है।

प्राचीन वस्तु क्या है?

- **प्राचीन वस्तुएँ और कला खजाना अधिनियम, 1972** (1 अप्रैल 1976 से लागू) "प्राचीन वस्तुओं" को व्यापक रूप से उन कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं के रूप में परिभाषित करता है, जिनमें सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, अभिलेख और अन्य वस्तुएँ शामिल हैं, जो कम से कम 100 वर्ष पुरानी हों।
- पांडुलिपियों, अभिलेखों या अन्य मूल्यवान दस्तावेजों के मामले में न्यूनतम आयु सीमा 75 वर्ष है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून

- 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ने सांस्कृतिक संपत्ति को पुरातात्विक, ऐतिहासिक, कलात्मक, साहित्यिक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया।
- इसने रेखांकित किया कि ऐसी संपत्ति का अवैध व्यापार स्रोत देशों की सांस्कृतिक धरोहर को हानि पहुँचाता है और इसे संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आवश्यक बताया।

प्राचीन वस्तुओं की वापसी हेतु दावा प्रक्रिया

- यूनेस्को 1970 कन्वेंशन देशों से अपेक्षा करता है कि वे प्राचीन वस्तुओं की वापसी का दावा करते समय स्वामित्व सिद्ध करने हेतु प्रमाण प्रस्तुत करें (अपने खर्च पर)।
- भारत में स्वामित्व सिद्ध करना कठिन है क्योंकि कई चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं की FIR दर्ज नहीं होती, यद्यपि विद्वतापूर्ण शोध कभी-कभी सहायक प्रमाण के रूप में कार्य कर सकता है।
    - पुराने मामलों में द्विपक्षीय वार्ता या अंतर्राष्ट्रीय मंचों की आवश्यकता होती है।
    - बाद के मामलों को स्वामित्व प्रमाण और यूनेस्को तंत्र का उपयोग कर सीधे आगे बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय कानून

- भारत के संवैधानिक प्रावधानों में धरोहर की जिम्मेदारी संघ, राज्य और समवर्ती सूची में बाँटी गई है।
- स्वतंत्रता से पूर्व , **प्राचीन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947** ने प्राचीन वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित किया।
- इसके बाद **प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958** लागू हुआ।
- सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी की चिंताओं और यूनेस्को कन्वेंशन के प्रभाव के चलते **प्राचीन वस्तुएँ और कला खजाना अधिनियम, 1972** (1976 में लागू) बनाया गया।
    - यह कानून केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्राचीन वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करता है और इनके व्यापार में संलग्न किसी भी व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बनाता है।

स्रोत: द हिंदू (TH)

विश्व खाद्य कार्यक्रम

संदर्भ

- विश्व खाद्य कार्यक्रम दक्षिण सूडान में लोगों को भोजन और पोषण पहुँचाने में सहायता कर रहा है।

परिचय

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और भूख एवं खाद्य असुरक्षा से निपटने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है।
- यह 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा स्थापित किया गया।

NEXT IAS

- WFP की उपस्थिति 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में है।
- यह पूर्णतः स्वैच्छिक दान से वित्तपोषित है।
- **प्रमुख कार्य:** संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के दौरान भोजन प्रदान करना।
    - गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कमजोर समूहों को पोषण समर्थन।
    - कुपोषण और अवरुद्ध वृद्धि (stunting) से निपटना।
    - बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना ताकि उपस्थिति और सीखने के परिणाम बेहतर हों।
- इसे 2020 में भूख से लड़ने और भूख को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग होने से रोकने के प्रयासों के लिए **नोबेल शांति पुरस्कार** प्रदान किया गया।
- **मुख्यालय: रोम**

स्रोत: UN

ई-प्राप्ति(E-PRAAPTI) पोर्टल

समाचार में

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लंबे समय से लंबित अप्राप्त EPF जमा की समस्याओं को हल करने हेतु नया पोर्टल **ई-प्राप्ति (E-PRAAPTI)** लॉन्च किया है।

ई-प्राप्ति पोर्टल के बारे में

- यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो पुराने EPF खातों की पहचान, ट्रैकिंग, यूनिक अकाउंट नंबर (UAN) लिंकिंग और सक्रियण को सुगम बनाएगा।
- यह आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करेगा, जिससे उपयोगकर्ता पुराने EPF खातों तक सुरक्षित पहुँच प्राप्त कर सकेंगे, भले ही वे UAN से लिंक न हों, और उन्हें विवरण अपडेट करने, UAN लिंक करने एवं खाते सक्रिय करने में सहायता मिलेगी।
- प्रारंभिक चरण में, पहुँच सदस्य IDs पर आधारित होगी, जिससे उन उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा जिनके पास अभी भी वे विवरण हैं। बाद में इसे उन लोगों तक विस्तारित किया जाएगा जो अपने पुराने IDs याद नहीं कर सकते।
- इसे कागजी कार्यवाही और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने तथा निष्क्रिय EPF खातों के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

महत्व

- यह पोर्टल लगभग 31.83 लाख निष्क्रिय खातों को हल करने में महत्वपूर्ण है, जिनमें से कई 20 वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त हैं।
- यह मुख्यतः उन सदस्यों का समर्थन करता है जो 55 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनके खाते तीन वर्षों तक योगदान न होने के बाद निष्क्रिय हो गए।
- ऑटो-मोड प्रोसेसिंग और आधार प्रमाणीकरण जैसी सुविधाओं के साथ, यह EPFO के प्रयासों को सुदृढ़ करता है, जिसने FY26 में रिकॉर्ड 8.31 करोड़ दावे निपटाए।

स्रोत: द हिंदू (TH)

चांगी नौसैनिक अड्डा

संदर्भ

- आईएनएस सुनयना सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुँचा है।

परिचय

- यह आईएनएस सुनयना का MAHASAGAR (विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति) दृष्टिकोण के अंतर्गत चौथा पोर्ट कॉल है।
    - यह जहाज़ 16 मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों (FFCs) के बहुराष्ट्रीय दल के साथ भारतीय महासागर क्षेत्र में तैनात है और मालदीव (माले), फुकेत तथा जकार्ता में पोर्ट कॉल पूरे कर चुका है।
- चांगी नौसैनिक अड्डा (CNB) सिंगापुर गणराज्य नौसेना का प्रमुख नौसैनिक प्रतिष्ठान है, जो सिंगापुर के पूर्वी छोर पर चांगी हवाई अड्डे के निकट स्थित है।
- यह अड्डा बड़े युद्धपोतों, जिनमें विमानवाहक पोत और उभयचर पोत शामिल हैं, को समायोजित कर सकता है।
- यह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, जो विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है।

- यह सिंगापुर को समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: PIB

डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क

संदर्भ

- भारत ने 2014 से अपने डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का विस्तार किया है, जो 14 परिचालन इकाइयों से बढ़कर 50 हो गया है, अर्थात 250 प्रतिशत से अधिक वृद्धि।

डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क

- डॉपलर वेदर रडार (DWR) नेटवर्क कई रडार स्टेशनों की प्रणाली है, जो बड़े क्षेत्र में मौसम की निगरानी करती है।
- इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) संचालित करता है। यह नेटवर्क उन्नत S-बैंड, C-बैंड और X-बैंड रडारों का उपयोग कर वास्तविक समय में उच्च-सटीकता डेटा प्रदान करता है, जिससे नाउकास्ट संसूचन 91% तक सुधरी है।
- **अनुप्रयोग:**
- **मौसम पूर्वानुमान:** बादलों और तूफानों के गठन व गति का पता लगाना; वर्षा, चक्रवात और आंधी-तूफान की भविष्यवाणी।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** चक्रवात, बवंडर, बिजली गिरना और बादल फटने जैसी घटनाओं का पता लगाना।
- **कृषि समर्थन:** किसानों को कृषि-मौसम संबंधी परामर्श प्रदान करना।

कार्यप्रणाली

- डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, जिसे क्रिश्चियन डॉपलर ने खोजा था। यह तरंगों की आवृत्ति में गति के कारण होने वाले परिवर्तन को समझाता है।
- रडार वातावरण में माइक्रोवेव संकेत भेजता है। ये संकेत वर्षा-बूंदों, बादलों या धूल जैसी वस्तुओं से टकराकर वापस लौटते हैं।
  - लौटे हुए संकेत की आवृत्ति में परिवर्तन का विश्लेषण कर कणों की गति और दिशा की पहचान की जाती है।
  - डुअल-पोलराइजेशन रडार वर्षा, ओलावृष्टि और फुहार के बीच सटीक अंतर कर सकते हैं, जिससे वर्षा का अनुमान बेहतर होता है और गलत चेतावनियाँ कम होती हैं।

स्रोत: AIR

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

समाचार में

- कोयला मंत्रालय ने 14वें वाणिज्यिक कोयला नीलामी दौर के अंतर्गत चार कोयला खानों के लिए कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते (CMDPAs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें प्रथम बार भारत में भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) प्रावधान शामिल किए गए हैं।

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

- यह एक नई तकनीक है जो पारंपरिक खनन के बिना सीधे कोयला परत में कोयले को सिंथेटिक गैस (syngas) में परिवर्तित करती है।
- यह गहरे, पतले या अन्यथा अप्राप्य कोयला भंडारों के उपयोग की अनुमति देती है, जिससे भारत के ऊर्जा संसाधनों का विस्तार होता है।

महत्व

- UCG पारंपरिक कोयला निष्कर्षण के साथ-साथ स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करता है।
- सिंथेटिक गैस (syngas) का उपयोग उर्वरक (जैसे यूरिया और अमोनिया), मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर और सिंथेटिक ईंधन बनाने में किया जा सकता है, जिससे आयात में कमी आ सकती है।

कोयला खान/ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौता (CMDPA/CBDPA)

- यह वाणिज्यिक कोयला खान आवंटियों के लिए माइलस्टोन आधारित प्रणाली निर्धारित करता है, जिसमें परियोजना समयसीमा से प्रदर्शन सुरक्षा को जोड़ा जाता है।
- समय पर उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु यह राजस्व हिस्सेदारी पर 50% प्रोत्साहन प्रदान करता है और यदि ब्लॉक समय पर परिचालन में आ जाता है तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) की वापसी की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन

- सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखते हुए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया है।
    - इसे समर्थन देने हेतु ₹8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए शुरू की गई है, साथ ही ₹64,000 करोड़ से अधिक के प्रमुख निवेश जारी हैं।
- यह पहल कठिन-से-पहुंच कोयला भंडारों के उपयोग हेतु उन्नत तरीकों जैसे UCG को बढ़ावा देती है, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है।

NEXT IAS

स्रोत: PIB